



## उड़ीसा हाईकोर्ट: नेपाली छात्र की मौत का मामला केआइआइटी में मानवाधिकार आयोग की जांच पर अस्थायी रोक

भुवनेश्वर @ पत्रिका. उड़ीसा हाईकोर्ट ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआइआइटी) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई तक संस्थान के खिलाफ कोई और कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने आयोग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को संस्थान में एक 20 वर्षीय नेपाली छात्र का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला था। घटना ने काफी अशांति पैदा की। नेपाल के

प्रधानमंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। एनएचआरसी ने इस घटना को छात्रा की 'आत्महत्या' के प्रति संस्थान अधिकारियों की 'घोर लापरवाही' का परिणाम मानते हुए, ओडिशा सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न निकायों से 27 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। कलिंगा संस्थान की याचिका के अनुसार, एनएचआरसी की कार्रवाई में कानूनी निष्पक्षता का अभाव था। एनएचआरसी ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और संस्थान को उचित सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना निर्देश जारी किए, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।



## उड़ीसा हाईकोर्ट: नेपाली छात्र की मौत का मामला केआइआइटी में मानवाधिकार आयोग की जांच पर अस्थायी रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
patrika.com

**भुवनेश्वर** . उड़ीसा हाईकोर्ट ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआइआइटी) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई तक संस्थान के खिलाफ कोई और कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने आयोग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को संस्थान में एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला था।

घटना ने काफी अशांति पैदा की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। एनएचआरसी ने इस घटना को छात्रा की 'आत्महत्या' के प्रति संस्थान अधिकारियों की 'घोर लापरवाही' का परिणाम मानते हुए, ओडिशा सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न निकायों से 27 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

कलिंगा संस्थान की याचिका के अनुसार, एनएचआरसी की कार्रवाई में कानूनी निष्पक्षता का अभाव था। एनएचआरसी ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और संस्थान को उचित सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना निर्देश जारी किए, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।



## उड़ीसा हाईकोर्ट: नेपाली छात्र की मौत का मामला केआइआइटी में मानवाधिकार आयोग की जांच पर अस्थायी रोक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

**भुवनेश्वर** . उड़ीसा हाईकोर्ट ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआइआइटी) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई तक संस्थान के खिलाफ कोई और कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने आयोग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को संस्थान में एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला था।

घटना ने काफी अशांति पैदा की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। एनएचआरसी ने इस घटना को छात्रा की 'आत्महत्या' के प्रति संस्थान अधिकारियों की 'घोर लापरवाही' का परिणाम मानते हुए, ओडिशा सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न निकायों से 27 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

कलिंगा संस्थान की याचिका के अनुसार, एनएचआरसी की कार्रवाई में कानूनी निष्पक्षता का अभाव था। एनएचआरसी ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और संस्थान को उचित सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना निर्देश जारी किए, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।





## उड़ीसा हाईकोर्ट: नेपाली छात्र की मौत का मामला केआइआइटी में मानवाधिकार आयोग की जांच पर अस्थायी रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
patrika.com

**भुवनेश्वर** . उड़ीसा हाईकोर्ट ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआइआइटी) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई तक संस्थान के खिलाफ कोई और कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने आयोग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को संस्थान में एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला था।

घटना ने काफी अशांति पैदा की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। एनएचआरसी ने इस घटना को छात्रा की 'आत्महत्या' के प्रति संस्थान अधिकारियों की 'घोर लापरवाही' का परिणाम मानते हुए, ओडिशा सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न निकायों से 27 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

कलिंगा संस्थान की याचिका के अनुसार, एनएचआरसी की कार्रवाई में कानूनी निष्पक्षता का अभाव था। एनएचआरसी ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और संस्थान को उचित सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना निर्देश जारी किए, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।

## उड़ीसा हाईकोर्ट: नेपाली छात्र की मौत का मामला केआइआइटी में मानवाधिकार आयोग की जांच पर अस्थायी रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
patrika.com

**भुवनेश्वर** . उड़ीसा हाईकोर्ट ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआइआइटी) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने आदेश दिया कि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई तक संस्थान के खिलाफ कोई और कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने आयोग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और अगले तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को संस्थान में एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव उसके छात्रावास के कमरे में मिला था।

घटना ने काफी अशांति पैदा की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। एनएचआरसी ने इस घटना को छात्रा की 'आत्महत्या' के प्रति संस्थान अधिकारियों की 'घोर लापरवाही' का परिणाम मानते हुए, ओडिशा सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न निकायों से 27 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

कलिंगा संस्थान की याचिका के अनुसार, एनएचआरसी की कार्रवाई में कानूनी निष्पक्षता का अभाव था। एनएचआरसी ने स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और संस्थान को उचित सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना निर्देश जारी किए, और इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।



## आयोग ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा

**रांची.** हजारीबाग जिला के बड़कागांव चट्टी बरियातू में आदिम जनजाति समुदाय के दुर्गा बिरहोर व किरणी बिरहोर की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एनटीपीसी के सीएमडी और हजारीबाग डीसी से जवाब मांगा है. आयोग की ओर से कहा गया है कि मामले के तथ्य और संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट आयोग को मिली है. आयोग ने एनटीपीसी के सीएमडी को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के अंदर चट्टी बरियातू खनन परियोजना में खनन कार्य जारी रहने के कारणों से अवगत कराये. वहीं हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त समिति के निष्कर्षों और टिप्पणियों पर प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह के अंदर आयोग को सूचित करें. इस मामले में शनिकांत ने आयोग से शिकायत की थी.

## Swadesh

**Damoh Fake Doctor: डॉक्टर डेथ उर्फ जॉन एन केम की मौत की मशीन सील, NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो बोले - मृतकों की गिनती जारी**

<https://www.swadeshnews.in/state/madhya-pradesh/doctor-death-alias-john-n-kem-death-machine-sealed-nhrc-member-priyank-kanungo-said-counting-of-dead-continues-948830>

Damoh fake doctor : मध्यप्रदेश। दमोह के मिशन अस्पताल में डॉक्टर डेथ उर्फ जॉन एन केम की मौत की मशीन सील कर दी गई है। नरेंद्र यादव उर्फ जॉन एन केम इसी मशीन का उपयोग कर लोगों का इलाज किया करता था। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि, मृतकों की गिनती जारी है। उन्होंने मिशन अस्पताल के संचालक अजय लाला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही है।

दरअसल बीते दिनों दमोह का फर्जी डॉक्टर उस समय चर्चा में आया जब यह पता चला कि, उसके पास जितनी भी डिग्री भी वह फेक थी। उसके चलते सात लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक सूत्रों ने दो से तीन मौतों की पुष्टि की है। नरेंद्र यादव के इलाज के चलते छत्तीसगढ़ में भी लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। मृतकों में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल थे।

प्रियांक कानूनगो ने बताया कि, मौत की मशीन, मिशन अस्पताल दमोह में इसी मशीन से फर्जी डॉक्टर हृदय रोग की सर्जरी किया करता था। डॉक्टर गिरफ्तार है, मशीन सील की जा रही है, सरकारी ज़मीन पर अस्पताल चल रहा है मासूम मरीजों को अभी भी ठगा जा रहा है। अस्पताल के संचालक ईसाई धर्म प्रचारक अजय लाल के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मृतकों की गिनती जारी है।

पुलिस ने आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ जॉन केम को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया था। जिला अस्पताल में मेडीकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस को आरोपी की पांच दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट परिसर में आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ जॉन केम को अधिवक्ताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ा।



## Live Law

### KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाफ नेपाली स्टूडेंट की मृत्यु मामले में NHRC की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

<https://hindi.livelaw.in/udisa-high-court/nepali-kiit-student-death-kalinga-institute-of-industrial-technology-national-human-rights-commission-nhrc-dr-justice-sanjeeb-kumar-panigrahi-289043>

किंजलाल औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT) को अस्थायी राहत देते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने फरवरी में नेपाली स्टूडेंट की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई।

जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही ने अपने आदेश में कहा,

“यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब अर्ध-न्यायिक संस्थाएं आदेश पारित करती हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है। नोटिस का अभाव या सुनवाई का अवसर न देना ऐसी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है और उसे चुनौती के योग्य बनाता है। एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देशित किया जाता है कि केस संख्या 134/18/28/2025-WC में NHRC में चल रही सभी कार्यवाहियां अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगी। साथ ही दिनांक 27.03.2025 को पारित आदेश का प्रभाव भी अगले सुनवाई की तिथि तक स्थगित रहेगा।”

मामले की पृष्ठभूमि:

12 मार्च 2024 को मृतका ने यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिकारी (IRO) को शिकायत दी मामला अनुशासन समिति को सौंपा गया, जिसने आरोपी (मृतका का पुरुष मित्र) को आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया।

दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मृतका ने आगे कोई शिकायत न करने की बात कही।

संवेदनशीलता के कारण IRO ने यह मामला न तो यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति को भेजा न ही पुलिस को।

25 जनवरी, 2025 को मृतका और आरोपी के बीच विवाद हुआ। दोनों को IRO के पास काउंसलिंग के लिए लाया गया और दोनों ने लिखित रूप से संपर्क न करने का वचन दिया।

29 जनवरी, 2025 को मृतका के भाई ने भी आरोपी से न उलझने और उसे धमकी न देने का लिखित वचन दिया।

उसी दिन मृतका ने IRO के समक्ष मौखिक रूप से यह कहा कि वह आगे कोई शिकायत नहीं करेगी।



16 फरवरी, 2025 को मृतका अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटकी मिली। इसके बाद FIR दर्ज हुई और 17 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप ले लिया और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तब हस्तक्षेप करना पड़ा, जब नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से जबरन हटाया गया था। यूनिवर्सिटी ने बाद में माफी मांगी और स्टूडेंट्स को बुलाया।

**NHRC की संज्ञान प्रक्रिया:**

03 मार्च, 2025 को NHRC ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसमें रजिस्ट्रार (कानून), NHRC और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

समिति ने 06 से 08 मार्च, 2025 के बीच KIIT का दौरा किया और रिपोर्ट NHRC को सौंपी।

इसके आधार पर 27 मार्च, 2025 को NHRC ने एकपक्षीय (ex-parte) आदेश पारित किया।

**NHRC की कार्यवाही के खिलाफ याचिका:**

सीनियर एडवोकेट सी. एस. वैद्यनाथन ने KIIT की ओर से प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि NHRC द्वारा की गई जांच और रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को उपलब्ध नहीं कराई गई।

यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 16 का भी उल्लंघन है, जो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है तो उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले में इस घटना और अन्य छात्र आत्महत्याओं का संज्ञान लिया है।

जस्टिस एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स इस मामले की जांच कर रही है तो मानवाधिकार आयोग को संयम बरतना चाहिए था।

**हाईकोर्ट का निष्कर्ष और आदेश:**

कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल औपचारिकता नहीं हैं और बिना नोटिस दिए या सुनवाई का अवसर न देकर की गई कार्रवाई प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है।

इसलिए कोर्ट ने NHRC और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया और यह निर्देश दिया:

"NHRC में चल रही कार्यवाहियां अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगी और 27 मार्च 2025 को जारी NHRC का आदेश भी अगली तारीख (29 अप्रैल) तक स्थगित रहेगा।"

## Live Law

### Orissa High Court Stays NHRC's Proceedings Against KIIT University In Nepali Student's Death Case

<https://www.livelaw.in/high-court/orissa-high-court/orissa-high-court-stays-nhrc-proceedings-nepali-kiit-student-death-case-289032>

In a temporary relief to the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), the Orissa High Court has granted an interim stay on the proceedings and actions initiated by the National Human Rights Commission (NHRC) following the alleged suicidal death of a female under-graduate student from Nepal in February.

While passing the said order, Dr. Justice Sanjeeb Kumar Panigrahi observed –

“It must be underscored that when orders are passed by quasi-judicial authorities, adherence to the principles of natural justice is not a mere formality but a foundational requirement. The absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process.”

"As an interim measure, it is directed that all further proceedings in Case No.134/18/28/2025-WC, presently pending before the learned National Human Rights Commission (Opposite Party No.1), shall remain stayed until the next date of listing of this matter. It is further directed that the operation and effect of the impugned order dated 27.03.2025, passed in the aforesaid case, shall also remain stayed until the matter is next taken up by this Court," the court added.

#### Case Background

On 12.03.2024, the deceased student lodged a complaint with the International Relations Officer (IRO) of the petitioners-University. The matter was then referred to the Disciplinary Committee, which directed the accused (male friend of the deceased) to delete all the objectionable/private photographs in question.

Subsequently, the issue was amicably resolved by the authorities concerned, with the accused giving assurance that all private images would be deleted and that no further grievance would arise. The deceased accepted this resolution.

Keeping in view personal and sensitive nature of the issue, and considering that the deceased expressed her unwillingness to pursue the matter further, the IRO refrained from referring the complaint either to the Internal Complaints Committee of the University or to the jurisdictional police station.

Subsequently, on 25.01.2025, an altercation took place in the premises of the University between the deceased and the accused. Both of them were promptly taken to the IRO for counselling and to find out a possible amicable solution of their dispute.

Pursuant to the counselling, both parties voluntarily submitted written undertakings affirming that they would refrain from establishing any form of contact with each other henceforth. However, despite the undertakings, further discord allegedly ensued between the accused and the deceased student. During one such subsequent incident, the victim's brother also got involved.

On 29.01.2025, the brother of the deceased girl voluntarily submitted an undertaking wherein he affirmed that he would neither engage with the accused nor would issue any threats to him. On the very same day, the deceased victim allegedly appeared before the IRO and furnished a verbal assurance to the authorities that she would not raise any further grievance against the accused.

However, a tragic incident took place on 16.02.2025, when the deceased victim was found hanging from the ceiling of her hostel room. In connection with this unfortunate incident, an FIR was promptly registered at the jurisdictional police station. Following the registration of the FIR and upon conclusion of the preliminary inquiry, the accused was arrested on 17.02.2025 and he is in custody since that day.

Notably, the incident had severe international ramifications and the Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli had to intervene when certain protesting students belonging to Nepal were allegedly forcefully ousted from the University campus. Later on, the University apologized for the harsh step and called back the concerned students.

#### Cognizance by NHRC

The NHRC took cognizance of the matter on 03.03.2025 and directed the Registrar (Law) to initiate an inquiry. Pursuant to the direction, a fact-finding Committee was constituted, comprising the Registrar (Law), NHRC; two Officers from the Investigation Division not below the rank of Senior Superintendent of Police; and one Officer or official from the Law Division.

The Committee visited the University campus between 06.03.2025 and 08.03.2025, and undertook its inquiry, culminating in the submission of its report before the NHRC. Thereafter, on 27.03.2025, the NHRC passed the impugned ex-parte order, against the petitioners-University, basing upon the report of the Committee.

#### Challenge against proceedings of NHRC

CS Vaidyanathan, Senior Advocate appearing for KIIT University submitted that though the officials of the NHRC undertook an inquiry and prepared a report, neither the said report nor its findings were made available to the University prior to the issuance of the impugned order dated 27.03.2025.

The Senior Counsel argued that such omission amounts a palpable breach of the principles of natural justice and violates the statutory safeguards enshrined under Section 16 of the Protection of Human Rights Act, 1993 which provides that if, at any stage of the inquiry, the Commission is of the opinion that the reputation of any person is likely to be prejudicially affected by the inquiry, it shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defence.

He further informed the Court that pursuant to the cognizance order of the NHRC, the Supreme Court in the case of *Amit Kumar v. Union of India*, 2025 LiveLaw (SC) 341 has also taken note of the said event along with certain other similar incidents (student suicides) in the colleges across India. It has also formed a National Task Force under the Chairmanship of Justice S. Ravindra Bhat, former Judge, Supreme Court to examine the issue.

Therefore, Mr. Vaidyanathan contended that when the National Task Force constituted by the Supreme Court under Article 142 of the Constitution is ceased of the matter, in light of the provision under Section 36(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC ought to have shown some restraint before passing the impugned order.

The Court *prima facie* observed that adherence to the principles of natural justice is not a cosmetic need and thus, absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and impairs the fairness of the process.

Accordingly, the Court issued notice to the NHRC and other opposite parties, including the State of Odisha. As an interim measure, it directed that all further proceedings currently pending before the NHRC shall remain stayed until the next date of hearing. It also stayed the effect of the NHRC's order of March 27 till the next date, i.e. April 29.



## Telangana Today

### University of Hyderabad students approach NHRC over alleged police distressing conduct

<https://a/telanganatoday.com/university-of-hyderabad-students-approach-nhrc-over-alleged-police-distressing-conduct>

The National Human Right Commission calls for action taken report from Hyderabad Police Commissioner within four weeks

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) sought a report from Hyderabad Police Commissioner on a complaint filed by the University of Hyderabad (UoH) students, alleging they were recently subjected to distressing conduct by the police on the varsity land dispute.

Two students approached the NHRC, alleging that students were subjected to distressing conduct by the police when they stood for their rights regarding land dispute concerning rightful ownership and use of land associated with the university.

As per the proceeding, students alleged they were subjected to intimidation, excessive force, wrongful detainment without prior notice or justification, violating legal norms. They also alleged that students were not allowed to contact their families or legal counsel.

“Instances of physical intimidation and coercion were reported, creating an environment of fear and hostility. Such actions are a direct violation of fundamental rights, including the right to peaceful assembly and freedom of expression,” it said.

Sharing a copy of the complaint, the NHRC called for an action taken report from the Hyderabad Police Commissioner within four weeks and put up the case after four weeks.

## Live Law

### केरल हाईकोर्ट ने JDU नेता की हत्या मामले में RSS के 5 कार्यकर्ताओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

<https://hindi.livelaw.in/kerala-high-court/kerala-high-court-reverses-acquittal-of-five-rss-workers-in-jdu-leaders-murder-hands-down-life-imprisonment-289038>

केरल हाईकोर्ट ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) पार्टी के पदाधिकारी दीपक की हत्या के आरोप से पांच RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के सेशन कोर्ट का आदेश पलट दिया।

जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने राज्य और दीपक की पत्नी की अपील स्वीकार की और पांचों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा, न्यायालय ने त्रिशूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए कहा। अन्य आरोपियों के संबंध में, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।

हाईकोर्ट ने कहा कि भौतिक तथ्यों पर विचार न करने और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार न करने के कारण निचली अदालत का आदेश गलत साबित हुआ।

कोर्ट ने कहा,

"सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने वाला विवादित फैसला, भौतिक साक्ष्यों पर विचार न करने और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार न करने के कारण दूषित है। इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि तकनीकी या कमजोर आधारों पर गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्तियों को बरी करने से आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की नींव ही खत्म हो जाएगी, जो व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। ऐसे नतीजे न केवल न्याय के संरक्षक के रूप में अदालतों में जनता के विश्वास को हिलाते हैं, बल्कि समाज को उस सुरक्षा से भी वंचित करते हैं जिसकी वह अदालतों से मांग करता है। इस तरह के बरी होने से एक खतरनाक भ्रामक संदेश भी जाएगा, जो यह सुझाव देगा कि गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार लोग न्याय से बच सकते हैं, जिससे अराजकता के माहौल को बढ़ावा मिलेगा।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दीपक की 24 मार्च 2015 को पझुविल सेंटर में उनकी राशन की दुकान के पास 4 हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह समाजवादी जनता दल के कुछ सदस्यों द्वारा एक आरोपी की हत्या करने के प्रयास का बदला था। आरोपियों का मानना था कि दीपक इस प्रयास के पीछे था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि 10 आरोपियों ने साजिश रची और उनमें से 5 हत्या करने के लिए घटनास्थल पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला किया गया।

सेशन कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्यों में विसंगतियां थीं, जिसमें उपचार-सह-घाव प्रमाण-पत्र भी शामिल था। इसने आगे माना था कि FIR दर्ज करने और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में जानबूझकर देरी की गई, जिससे इस तथ्य को छिपाया जा सके कि हमलावरों ने नकाब पहना हुआ था।

हाईकोर्ट का मानना था कि सेशन कोर्ट को उपचार-सह-घाव प्रमाण-पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही लापरवाही से दर्ज किया गया और गवाहों के बयानों सहित आसपास के तथ्यों के आलोक में इसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जब घायल व्यक्तियों में से कोई एक खुद साक्ष्य देता है तो उसके बयान पर उचित विचार किया जाना चाहिए और उसे बदनाम करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में माना कि जहां घटना का गवाह खुद घटना में घायल हुआ हो, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह ऐसा गवाह होता है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ने की संभावना नहीं रखता है। उक्त सिद्धांत के आलोक में हमें पीडब्लू1 और पीडब्लू2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई कि FIR दर्ज करने और इसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में देरी हुई। इसने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद बयानों के अनुसार, जांच अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे और बयान दर्ज करने में केवल एक घंटे की देरी घातक नहीं हो सकती, क्योंकि घायल को पहले स्थिर करना था, उसके बाद ही उसका बयान दर्ज किया जा सकता था।

न्यायालय ने कहा कि घायल गवाह का बयान लेने के बाद जांच अधिकारी द्वारा FIR दर्ज करना पूरी तरह से उचित था, क्योंकि आरोपी और अभियोजन पक्ष के हितों की रक्षा करना आवश्यक है।

अगली सुबह मजिस्ट्रेट के कार्यालय में FIR प्राप्त हुई।

हाईकोर्ट ने माना कि यहां भी कोई अनुचित देरी नहीं हुई। इसने कहा कि केवल इसलिए कि विषम समय पर दर्ज की गई FIR को तत्काल मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया, यह नहीं माना जा सकता कि CrPC की धारा 157 का अनुपालन नहीं किया गया।

## Samachar Nama

### दमोह में सात लोगों की हत्या के आरोप में फर्जी 'हृदय रोग विशेषज्ञ' गिरफ्तार

<https://samacharnama.com/states/madhya-pradesh-news/fake-cardiologist-arrested-for-killing-7-people-in-damoh/cid16541242.htm>

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जॉन कैम के नाम से काम करने वाले एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के आरोपी ने मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल में अवैध हृदय शल्य चिकित्सा के दौरान कम से कम सात मरीजों की कथित तौर पर जान ले ली। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, "आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम को हमारी टीम ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। उसे दमोह लाया जा रहा है।" पुलिस ने यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ताओं ने यादव की देखरेख में कई मरीजों की मौत पर चिंता जताई। स्थानीय अधिवक्ता और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में खुलासा हुआ कि यादव ने बिना उचित प्रमाण-पत्र के कई सर्जरी की थी। तिवारी ने कहा, "मौतों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है।" जिला कलेक्टर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नेतृत्व में की गई जांच में पता चला कि यादव ने आंध्र प्रदेश में डॉक्टर के रूप में पंजीकरण का दावा करते हुए दस्तावेजों में हेराफेरी की थी, जो बाद में फर्जी पाया गया। उनकी असली पहचान प्रसिद्ध ब्रिटिश हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. जॉन कैम के नाम से छिपाई गई थी। 7 अप्रैल को दमोह पहुंचे एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "हमें एक फर्जी डॉक्टर द्वारा सर्जरी करने की शिकायत मिली थी। अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से भी जुड़ा हुआ है, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।" विवाद को और बढ़ाते हुए, मामला दर्ज करने वाले सीएमएचओ डॉ. एम. के. जैन कथित तौर पर मीडिया द्वारा संपर्क किए जाने पर पुलिस स्टेशन से भाग गए, जिससे जांच में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। 7 से 9 अप्रैल तक निर्धारित एनएचआरसी की जांच का उद्देश्य धोखाधड़ी की पूरी हद को उजागर करना और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराना है।



## Patrika

### फर्जी डॉक्टर को नहीं आती थी एंजियोग्राफी, नागपुर से बनवाई थीं फर्जी डिग्री

<https://www.patrika.com/damoh-news/fake-doctor-damoh-latest-update-dr-narendra-yadav-mission-hospital-damoh-latest-update-news-19520115?amp=1>

Fake Doctor Damoh: मानवाधिकार आयोग और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जांच में सामने आया है कि नरेंद्र को एंजियोग्राफी भी ठीक से नहीं आती। उसने नागपुर में फर्जी डिग्री बनवाई थी।

Fake Doctor Damoh: : मिशन अस्पताल में दिल की सर्जरी कर 7 मरीजों को मौत बांटने वाले कथित डॉक्टर नरेंद्र यादव के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला बराबर का जिम्मेदार है। मानवाधिकार आयोग और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जांच में सामने आया है कि नरेंद्र को एंजियोग्राफी भी ठीक से नहीं आती। उसने नागपुर में फर्जी डिग्री बनवाई थी। उससे 1 एमबीबीएस, दो एमडी और 1 कार्डियोलॉजी की डिग्री मिली है। उसने लंदन के डॉ. जॉन एनकेम के नाम पर अपना नाम रखा, आधार भी अपडेट कराया। उसके फर्जी डिग्री की जानकारी सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन को थी। प्रशासन ने जांच को कहा, पर वे जांच दबाए रहे।

कैथलैब जबलपुर के डॉक्टर के नाम पर

सात मरीजों की मौत के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर के पास शिकायत पहुंची। उन्होंने सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन से जांच कराई। इसमें नरेंद्र की डिग्री और पहचान के दस्तावेज फर्जी मिले। अस्पताल में कैथलैब मिला, उसका रजिस्ट्रेशन जबलपुर के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अखिलेश दुबे के नाम पर निकला। नियमानुसार, सीएमएचओ ने लैब सील नहीं की। डॉ. दुबे को नोटिस भी नहीं दिया। कलेक्टर ने भी संज्ञान नहीं लिया।

जिस लैब में मौत, उसे सील तक नहीं किया

7 मार्च को सीएमएचओ कलेक्टर सुधीर कोचर को रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन प्रशासन ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, अस्पताल की जिस कैथलैब में फर्जी डॉक्टर ने 8 मरीजों के दिल की सर्जरी की और 7 ने दम तोड़ा, उस लैब को भी सीएमएचओ ने सील नहीं किया।

सीधी बात- सुधीर कोचर, कलेक्टर

-7 मार्च को सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट दी। तब डॉक्टर के फर्जी होने की बात आ चुकी थी, फिर क्यों कार्रवाई नहीं की?

मानवाधिकार आयोग की टीम ने जांच की है। रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं कह सकूंगा।

आपने कार्रवाई के लिए कहा था?

मैं रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं बता पाऊंगा।

## Samachar Nama

मध्य प्रदेश में जॉन कैम नाम के 'नकली' हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज के बाद सात लोगों की मौत

<https://samacharnama.com/states/madhya-pradesh-news/seven-people-die-after-being-treated-by-a-fake-cardiologist/cid16541275.htm>

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज करने के बाद सात लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी के सामने आने के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस घातक चिकित्सा कदाचार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच शुरू कर दी है। सदस्य प्रियांक कानूनगो के नेतृत्व में एनएचआरसी अधिकारियों की एक टीम 7 से 9 अप्रैल तक दमोह में घटना की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए आने वाली है।

एक स्थानीय निवासी ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 'डॉ एन जॉन कैम' नाम का एक व्यक्ति, जिसने विदेशी योग्यता होने का दावा किया था, अस्पताल में काम कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोपी की पहचान नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के रूप में की, जिसने कथित तौर पर मरीजों को धोखा देने के लिए प्रसिद्ध यूके हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन कैम के नाम का इस्तेमाल किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि यादव द्वारा दिए गए गलत उपचार के कारण मरीजों की मौत हो गई।